



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275176
CG-DL-E-04082026-275176

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4144]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2026/श्रावण 13, 1948

No. 4144]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2026/SHRAVAN 13, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2026

का.आ. 4320(अ).— केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण' (PAN: AAALN0639A), जो भारत सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण है, उस प्राधिकरण से उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्, -

- (क) पट्टे का किराया;
- (ख) एफडीआरएस पर बैंकों से मिलने वाला ब्याज;
- (ग) आई कार्ड से प्राप्तियां और परमिट शुल्क;
- (घ) मानक डिजाइन कारखानों के संबंध में आवंटन शुल्क;
- (ङ) खाली पड़े भूखंडों/भवनो के संबंध में नीलामी/बोली राशि;
- (च) भूखंड/भवन के संबंध में स्थानांतरण प्रभार;

- (छ) भवन योजनाओं की छूट के लिए फॉर्म-I जारी करने के लिए शुल्क;
 (ज) भवन योजनाओं के अनुमोदन के लिए प्रसंस्करण शुल्क;
 (झ) सेवा प्रदाताओं से साइट उपयोग शुल्क; तथा
 (ञ) विविध स्कैप/अपशिष्ट की बिक्री से।
2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण –
 (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
 (ख) उक्त अधिनियम, 2025 की धारा 263(9)(ग)(xiii) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा; तथा
 (ग) गतिविधियों और निर्दिष्ट आय की प्रकृति कर वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।
3. पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने में विफल होने पर धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] के तहत छूट वापस ले ली जाएगी और उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी।
4. यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-27 और 2027-28 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 108 /2026 /फा. सं. 300196/65/2018-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2026.

S.O. 4320(E).— In exercise of the powers conferred by Schedule III [Table: Sl. No.36] read with Section 11 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Noida Special Economic Zone Authority' (PAN: AAALN0639A), an Authority constituted by the Government of India, in respect of the following specified income arising to that authority, namely:-

- (a) Lease rent;
- (b) Interest from banks on FDRS;
- (c) Receipts from I Card and permit Fee;
- (d) Allotment fee in respect of standard design factories;
- (e) Auction/Bid amount in respect of plots/Buildings which fall vacant;
- (f) Transfer charges in respect of plot/building;
- (g) Fee for issue of Form-I for exemption of building plans;
- (h) Processing fee for approval of building plans;
- (i) Site usage charges from service providers; and
- (j) From the sale of miscellaneous scrap/waste.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Noida Special Economic Zone Authority –

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) shall file return of income in accordance with the provision of section 263(9)(c)(xiii) of the said Act, 2025; and
- (c) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the tax years.

3. Failure to comply with the conditions specified in paragraph 2 shall result in withdrawal of exemption under Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with section 11 and initiation of proceedings under the said Act.

4. This notification shall be applicable for tax years 2026-27 and 2027-28.

[Notification No. 108 /2026 /F. No. 300196/65/2018-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.